भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2398
सोमवार, 08 जुलाई, 2019/7 आषाढ़, 1941 (शक)

महिला श्रम

2398. श्रीमती अपरूपा पोद्दारः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि विगत पांच वर्षों के दौरान, उससे पूर्व के पांच वर्षों की तुलना में, रोजगार में महिलाओं की औसत भागीदारी में 70 प्रतिशत कमी आई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि देश के निजी क्षेत्र में महिला श्रमिक और कर्मचारी राष्ट्रीय मजदूरी से कम मजदूरी प्राप्त करती हैं और महिलाओं को रोजगार देने और उनके लिए रोजगार सृजन हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव बनाया गया है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) एवं (ख): राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, 2004-05, 2009-10, 2011-12 एवं पीएलएफएस (2017-18) के दौरान देश में 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों हेतु सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) आधार पर अनुमानित महिला श्रमबल भागीदारी दर क्रमशः 42.7% , 32.6%, 31.2% एवं 23.3% है।

विभिन्न कार्य-पद्धति के अपनाए जाने के कारण, उपर्युक्त सर्वेक्षणों के परिणाम तुलनात्मक नहीं हैं। तथापि, ये परिणाम वर्ष-दर-वर्ष गिरती हुई महिला श्रमबल भागीदारी दर को दर्शाते हैं। यह गिरावट शिक्षा में महिलाओं की उच्चतर भागीदारी, प्रवास आदि जैसे कारकों के कारण हो सकती है।

सरकार ने श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए हैं। महिलाओं के रोजगार को प्रोत्साहित करने के क्रम में, महिला कामगारों के लिए कार्य का अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु विभिन्न श्रम कानूनों में अनेक सुरक्षात्मक प्रावधान किए गए हैं। इनमें बाल-देखभाल केंद्र, बच्चों के दूग्धपान हेतु समय देना, सवेतन प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना, 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा के प्रावधानों का उपबंध, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति देना आदि शामिल हैं। समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 में पुरुष एवं महिला कामगारों हेतु बिना किसी भेदभाव के समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए समान पारिश्रमिक का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत, संगत सरकार द्वारा निर्धारित की गई मजदूरी बिना किसी लैंगिक भेदभाव के पुरुष एवं महिला कामगार दोनों पर समान रूप से लागू होती है।

इसके अतिरिक्त, महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के क्रम में, सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के एक नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

*****